

भारतीय वित्तीय क्षेत्र में समेकन*

श्री वी. लीलाधर

इंडियन मर्चेन्ट्स चेंबर के अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग एवं वित्त सम्मेलन 2008 के अवसर पर इस सुबह आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। भारतीय वित्तीय क्षेत्र में समेकन विषय पर यहां उपस्थित प्रवृद्ध व्यक्तियों को संबोधित करने और इस विषय से जुड़े मेरे कतिपय विचारों को आप सभी के समक्ष रखने हेतु अवसर प्रदान करने के लिए मैं आयोजकों के प्रति कृतज्ञ हूँ। इस चेंबर ने स्वतंत्रता से पूर्व सितंबर 1907 में सर मनमोहनदास रामजी की अध्यक्षता में अपनी स्थापना के बाद से अब तक वस्तुतः काफी लंबा सफर तय किया है। विदेशी शासन काल के दौरान इसने आर्थिक क्षेत्र में देश के सजग प्रहरी की भूमिका निभाई। चेंबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पृष्ठपोषकता का अनुपम गौरव भी प्राप्त हुआ जब वे 1931 से इसके मानद सदस्य के रूप में रहे। चेंबर ने अपने सौ साल के कार्यकाल के दौरान व्यवसायी समाज के हितों को बढ़ावा देने के लिए सरकार और कारोबारियों के बीच की भागीदारी सुदृढ़ करके एवं सरकार के समक्ष कारोबारियों के पक्षों को समुचित रूप में प्रस्तुत करके देश तथा समाज के प्रति अनन्य सेवा की है। मैं आशा करता हूँ कि चेंबर आगे भी राष्ट्रीय नीति निर्माण की दिशा में सकारात्मक भूमिका अदा करता रहेगा।

आज के अभिभाषण में मैं भारतीय वित्तीय क्षेत्र में समेकन के अनुभव तथा उसके उभरते परिदृश्य के बारे में संक्षेप में उल्लेख करूंगा, जो इस प्रयोजन हेतु तैयार की गई सुस्पष्ट नीति के फलस्वरूप रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित संस्थाओं में कुछ दशकों के दौरान उभरकर सामने आए हैं।

* श्री वी. लीलाधर, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 17 अप्रैल 2008 को मुंबई में इंडियन मर्चेन्ट्स चेंबर, मुंबई द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग एवं वित्त सम्मेलन 2008 के अवसर पर दिया गया विशेष अभिभाषण।

वित्तीय क्षेत्र में समेकन

विलय और अभिग्रहण के जरिए व्यवसायिक संस्थाओं के समेकन की प्रक्रिया विश्वव्यापी घटना है। भारत सहित समग्र विश्व में संपदा तथा वित्तीय सेवा क्षेत्र में विलय और अभिग्रहण की विभिन्न घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि इसके पीछे की भावना विलय और अभिग्रहण से प्राप्त होने वाले सह-संबंधों का लाभ उठाना है। परंतु, ऐसे ढांचागत बदलाव के, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र में, सार्वजनिक नीति संबंधी निहितार्थ होते हैं। इस संक्षिप्त भूमिका के बाद मैं भारतीय वित्तीय क्षेत्र में, विशेष रूप से बैंकों, विकास वित्तीय संस्थाओं तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में समेकन की रूपरेखा प्रस्तुत करना चाहूंगा।

भारतीय परिदृश्य

सांविधिक ढांचे की विविधता

भारत में वित्तीय क्षेत्र समेकन के संदर्भ में मैं भारतीय ऋण संस्थाओं की अनूठी विशिष्टताओं तथा उनके परिचालनात्मक परिवेश के बारे में मैं कतिपय बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। भारतीय वातावरण में समेकन के बारे में बात करते समय यह महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय ऋण प्रणाली में विभिन्न संस्थाओं के लिए लागू अभिशासी संविधियों की विविधता को ध्यान में रखा जाए। इसके अतिरिक्त वे अपने परिचालन की प्रकृति और अपने संगठन अथवा स्वामित्व के स्वरूप के आधार पर विविध सांविधिक प्रावधानों द्वारा अभिशासित होती हैं।

इस प्रकार, जबकि निजी क्षेत्र के बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के अधीन हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपने संबंधित मौलिक संविधियों और बैंककारी विनियमन अधिनियम के उन पर विशेष रूप से प्रयोज्य प्रावधानों द्वारा अभिशासित होते हैं।

दूसरी ओर शहरी सहकारी बैंक संबंधित राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों द्वारा अथवा बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम के साथ-साथ विशेष रूप से उनपर लागू बैंककारी विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के द्वारा भी अभिशासित होते हैं।

विकासात्मक वित्तीय संस्थाएं (डीएफआई) जो किसी संविधि द्वारा स्थापित की गई हैं, उन संविधि के प्रावधानों से नियंत्रित होती हैं जबकि सीमित कंपनी के रूप में संरचित विकासात्मक वित्तीय संस्थाएं कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अधीन होती हैं, लेकिन दोनों प्रकार की विकासात्मक वित्तीय संस्थाएं भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षित होती हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का सृजन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के अंतर्गत किया गया था और वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित होते हैं लेकिन उनका पर्यवेक्षण राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किया जाता है जबकि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अधीन हैं और उनका नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है।

वर्तमान में आवास वित्त कंपनियों, जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी श्रेणी का हिस्सा हैं, का नियंत्रण और पर्यवेक्षण राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाता है जबकि ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नियंत्रण और पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र के अंदर आती है।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में समेकन का इतिहास

बैंकिंग क्षेत्र के समेकन के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि बैंकिंग क्षेत्र सुधार समिति की रिपोर्ट (नरसिंहम

समिति की दूसरी रिपोर्ट - 1998) में, अन्य बातों के साथ-साथ, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र तथा यहां तक कि वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ भी, सुदृढ़ बैंकों के बीच विलय का सुझाव दिया गया था। बैंकों के विलय और अभिग्रहण की घटनाएं भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए नई बात नहीं है। वर्ष 1961 से अब तक बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय बैंकिंग प्रणाली में लगभग 77 बैंक समामेलित किए गए हैं जिनमें से 46 समामेलन वर्ष 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पहले किए गए थे जबकि शेष 31 समामेलन राष्ट्रीयकरण के बाद के युग में हुए। विलय के 31 मामलों में से 25 में निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ विलय किया गया जबकि शेष छह मामलों में दोनों बैंक निजी क्षेत्र के थे।

1990 में सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद से बैंक विलय के 22 मामले हुए हैं; इनकी संक्षिप्त जानकारी अनुबंध-I में दी गई है। यह देखा जा सकता है कि 1999 से पूर्व उन बैंकों का विलय किया गया जिनकी वित्तीय स्थिति कमजोर थी, जबकि 1999 के बाद की अवधि में, कारोबारी तथा वाणिज्यिक हितों के मद्देनजर सुदृढ़ बैंकों के बीच भी विलय की घटनाएं हुई हैं।

वाणिज्यिक बैंकिंग खण्ड में समेकन: हाल की गतिविधियाँ

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में समेकन प्रयासों को मुख्यतः शामिल संस्थाओं और विलय की प्रकृति के अनुसार कई श्रेणियों में रखा जा सकता है, यथा (क) निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच स्वैच्छिक समामेलन; (ख) किसी निजी क्षेत्र के बैंक का अनिवार्य समामेलन; (ग) सार्वजनिक

क्षेत्रों के बैंकों के बीच विलय; (घ) किसी निजी क्षेत्र के बैंक के साथ किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का विलय; और (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के मूल बैंक के साथ किसी आवास वित्त सहायक कंपनी का विलय। मैं यहां विलय के प्रत्येक प्रकार के मामले से जुड़ी नीति तथा प्रक्रिया संबंधी संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करना चाहूंगा।

(क) निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच स्वैच्छिक समामेलन

दो बैंकिंग कंपनियों के बीच स्वैच्छिक समामेलन के लिए प्रक्रिया बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 44-क के अंतर्गत निर्धारित की गई है जिसका अनुपालन सरल और किफायती है। दो बैंकिंग कंपनियों द्वारा अपनी आम सभा की बैठकों में दोनों बैंकिंग कंपनियों के प्रत्येक की शेयरधारिता के मूल्य की दो तिहाई संख्या के प्रतिनिधित्व वाले बहुमत के साथ एक बैंक का दूसरे बैंक के साथ समामेलन प्रस्तावित करनेवाले आवश्यक संकल्प पारित किए जाने के बाद समामेलन की योजना वाले ऐसे संकल्प को रिजर्व बैंक के पास इसकी संस्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यदि यह योजना रिजर्व बैंक द्वारा एक लिखित आदेश के रूप में स्वीकृत की जाती है तो यह न केवल संबंधित बैंकिंग कंपनियों बल्कि उनके सभी शेयरधारकों पर भी बाध्यकारी हो जाता है।

संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग कंपनियों के बीच स्वैच्छिक विलय के बारे में दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया। दल की सिफारिशों के आधार पर रिजर्व बैंक ने मई 2005 में दिशानिर्देश जारी किए

जिसमें ऐसे विलय की प्रक्रिया के लिए, स्वैप अनुपात निर्धारण, प्रकटीकरण, विलय की प्रक्रिया में बोर्ड कब जड़ित होगा आदि बातों सहित विभिन्न जरूरी अपेक्षाओं का निर्धारण किया गया। सामान्यतः समामेलन व्यावसायिक हितों (जैसे बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने की जरूरत, कारोबार के परिचालन में सहक्रिया, कारोबारी इकाई अथवा खंड का अभिग्रहण आदि) के आधार पर तय होते हैं, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक का नीतिगत लक्ष्य, समामेलन की सुदृढ़ युक्तियुक्तता, प्रणालीगत लाभ तथा अवशिष्ट संस्थाओं को होने वाले लाभ जैसे मुद्दों का विस्तृत मूल्यांकन करना होता है। समामेलन योजना को स्वीकृत करते समय रिजर्व बैंक दोनों बैंकिंग कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर विचार करता है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित किया जा सके कि समामेलन के बाद नई संस्था एक सुदृढ़ बैंक के रूप में उभरेगी।

कुल मिलाकर रिजर्व बैंक का अनुभव हाल की अवधि में निजी क्षेत्र के बैंकों के समामेलन की योजना का अनुमोदन करने में संतोषप्रद रहा है और ऐसा कोई अवसर नहीं आया है कि अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई समामेलन की किसी योजना को अस्वीकार करना पड़े। निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच अब तक पांच स्वैच्छिक समामेलन हुए हैं, जबकि दो निजी क्षेत्र के बैंकों (गणेश बैंक ऑफ कुरुंडवाड़ तथा फेडरल बैंक) के बीच समामेलन पहले बैंक के ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखकर रिजर्व बैंक द्वारा प्रेरित था। स्वैच्छिक विलयों में से अधिकांश विलय सुदृढ़ बैंकों के बीच हुए थे जो पहली नरसिंहम समिति के

सुझावों के अनुरूप थे। समिति का विचार था कि बैंकिंग प्रणाली की पुनर्गठित व्यवस्था बाजार द्वारा प्रेरित तथा लाभप्रदता आधारित होनी चाहिए एवं यह कार्य विलयों और अभिग्रहणों की प्रक्रिया के जरिए किया जाना चाहिए।

(ख) निजी क्षेत्र के बैंक का अनिवार्य समामेलन

अनिवार्य समामेलन रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में अथवा किसी संकटग्रस्त बैंक के जमाकर्ताओं के हित में अथवा किसी बैंकिंग कंपनी का समुचित प्रबंध प्राप्त करने के लिए अथवा बैंकिंग प्रणाली के हित में अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत होते हैं तथा ये रिजर्व बैंक द्वारा प्रेरित अथवा अनिवार्य स्वरूप के होते हैं। वित्तीय संकटग्रस्त कंपनी के मामले में जिसे अधिनियम की धारा 45 (2) के अधीन अधिस्थगन आदेश के अंतर्गत रखा गया हो, रिजर्व बैंक, केंद्रीय सरकार को आवेदन करने के उपरांत, उक्त कारणों को ध्यान में रखकर संकटग्रस्त बैंक की आस्तियों और देयताओं को उससे बेहतर और सुदृढ़ बैंक में अंतरित करने के लिए समामेलन की योजना तैयार कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की गई किसी योजना के लिए यह अपेक्षित है कि उसे जमाकर्ताओं, शेयरधारकों और अन्य लोगों सहित उनके सुझाव अथवा आपत्तियों के लिए संबंधित बैंकिंग कंपनियों को भेजा जाए। इस पर विचार किए जाने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक समामेलन की अंतिम योजना को केंद्र सरकार के पास स्वीकृति और सरकारी गजट में अधिसूचना के लिए भेज देता है। अधिनियम की धारा 45 के तहत जारी अनिवार्य समामेलन की अधिसूचना संसद के दोनों सदनों में रखा जाना अपेक्षित है।

बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद की अवधि के निजी क्षेत्र के बैंकों के अधिकांश सम्मेलन अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत बृहत्तर जनहित में रिजर्व बैंक द्वारा प्रेरित सम्मेलन थे। इन सभी मामलों में कमजोर अथवा वित्तीय रूप से संकटग्रस्त बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र के मजबूत बैंकों के साथ सम्मेलित किया गया था। सम्मेलन प्रस्तावों के विचार को अभिशासित करनेवाले सर्वोपरि सिद्धांत थे : (क) जमाकर्ताओं के हित की सुरक्षा; (ख) शीघ्र समाधान; और (ग) विनियामक प्रवृत्ति से बचना। भूतपूर्व ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और भूतपूर्व युनाइटेड वेस्टर्न बैंक का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ सम्मेलन हाल के उदाहरण हैं। ऐसे मामलों में भी अंतरिती बैंक के वाणिज्यिक हित और इसकी लाभप्रदता पर सम्मेलन के प्रभाव का विधिवत विचार किया गया था।

कई कमजोर बैंकों के सुदृढ़ बैंकों के साथ विलयों ने हमें आज एक विश्वसनीय स्तर पर पहुंचाया है जब देश में निजी क्षेत्र के किसी भी बैंक के पास पूंजी पर्याप्तता अनुपात नौ प्रतिशत की न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से कम नहीं है। इससे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तत्पर सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढाँचे के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अब रास्ता सुगम हो गया है जो पहले ऐसा नहीं हो सका था क्योंकि बैंकिंग प्रणाली में कई कमजोर बैंकों की बहुलता थी तथा गोपनीयता संबंधी मुद्दे का सामना किए बिना ऐसा करना संभव नहीं था।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय

सरकारी क्षेत्र के बैंकों अर्थात् राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके अनुषंगी बैंक, के सम्मेलन का कानूनी ढांचा काफी अलग है क्योंकि बैंककारी विनियमन अधिनियम के उक्त प्रावधान उन पर लागू नहीं होते। जहाँ तक राष्ट्रीयकृत बैंकों का संबंध है बैंकिंग कंपनी

(अधिग्रहण और उपक्रम अंतरण) अधिनियम 1970 और 1980 अथवा बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम, केंद्र सरकार को धारा 9(1)(ग) के अंतर्गत रिजर्व बैंक से परामर्श के बाद अन्य बातों के साथ-साथ किसी तदनुरूपी नए बैंक (अर्थात् कोई राष्ट्रीयकृत बैंक) के उपक्रम को किसी अन्य तदनुरूपी नए बैंक में अंतरण अथवा किसी बैंकिंग संस्था के संपूर्ण रूप से अथवा उसके किसी हिस्से को किसी तदनुरूपी नए बैंक में अंतरण के लिए कोई योजना तैयार करने अथवा बनाने के लिए प्राधिकृत करते हैं। बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 44-क के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा योजनाओं की संस्वीकृति के विपरीत केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई योजना को बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियमों की धारा 9(6) के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत केवल एक विलय जो अब तक हुआ है वह भूतपूर्व न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक के साथ सम्मेलन था जो पहले बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण किया गया था। तथापि, विलयोत्तर अनुभव दो संस्थाओं के एक प्रभावी एकीकरण में आई समस्याओं के कारण बिल्कुल संतोषप्रद नहीं था।

जहाँ तक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का संबंध है भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 स्टेट बैंक को किसी बैंकिंग संस्था के प्रबंधन की सहमति के साथ (जिसमें कोई बैंकिंग कंपनी भी शामिल होगी) किसी बैंक की आस्ति और देयता सहित कारोबार को अधिगृहीत करने का अधिकार देता है। इस प्रावधान के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि अधिगृहीत किए जाने वाले बैंक की सहमति, रिजर्व बैंक का अनुमोदन और केंद्र सरकार द्वारा ऐसे अधिग्रहण की संस्वीकृति प्राप्त की जाए। निजी क्षेत्र के कई बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इस मार्ग का अनुपालन करते हुए अधिगृहीत किया गया था। तथापि, अब तक इस

प्रक्रिया के अंतर्गत किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का अधिग्रहण नहीं किया गया है। ऐसे ही प्रावधान भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंकों के संबंध में भी विद्यमान हैं।

अतः यह स्पष्ट होता है कि सरकारी क्षेत्र में बैंकों को नियंत्रित करने वाले विद्यमान संविधि में पर्याप्त ऐसे विधिक प्रावधान हैं जिनके द्वारा विलय और समामेलन के जरिए सरकारी क्षेत्रों के बैंकों के बीच समेकन को प्रोत्साहित किया और बढ़ावा दिया जा सकता है, साथ ही इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भी संविधि में निर्धारित की गई है।

समेकन और शाखा नेटवर्क पर इसका प्रभाव

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बैंकिंग क्षेत्र में समेकन का एक संभावित प्रभाव संबंधित बैंकों की शाखा नेटवर्क को विवेकसम्मत बनाना हो सकता है जिसका परिणाम विलयकारी बैंकों की उन कतिपय शाखाओं के बंद होने में घटित होगा जहाँ दोनों की शाखाएं साथ-साथ हों। सामान्यतः समेकन की प्रक्रिया के अंग के रूप में बैंक अपनी शाखाओं को अन्यत्र स्थानांतरित कर सकेगा और अपने परिचालन को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों की ओर केंद्रित कर सकेगा, क्योंकि ये क्षेत्र लाभप्रदता की दृष्टि से बेहतर हैं। तथापि शाखा प्राधिकरण के लिए वर्तमान विनियामक व्यवस्था सामान्यतः बैंकों की ग्रामीण शाखाओं को बंद करने की अनुमति नहीं देती है। ऐसी अपेक्षा वित्तीय समावेशन के विचारधारा के अनुरूप है जो देश के बैंक-रहित और कम बैंक वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के बढ़ते हुए प्रवेश पर जोर डालती है। उदाहरण के लिए सितंबर 2005 में घोषित भारतीय रिज़र्व बैंक की नई शाखा प्राधिकरण नीति के अंतर्गत वर्ष 2007-08 (अप्रैल-मार्च) के दौरान जारी किए गए 4,117 शाखा प्राधिकरणों में से 1,979 कम बैंक वाले केंद्रों के

लिए थे। कुल मिलाकर वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 627 शाखाएं तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में 1471 शाखाएं खोलने के लिए प्राधिकार दिए गए। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूँ कि नई शाखा प्राधिकरण नीति वार्षिक योजना के बाहर भी विशेषतः ग्रामीण/कम बैंक वाले क्षेत्रों में वर्ष के किसी भी समय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नई बैंक शाखाओं के लिए किन्हीं अत्यावश्यक प्रस्तावों पर विचार किए जाने की संभावना को प्रतिबंधित नहीं करती है।

संक्षेप में भारतीय रिज़र्व बैंक विधि, सार्वजनिक नीति और विनियामक सुविधा के द्वारा यथा अपेक्षित शाखा लाइसेंसिकरण के लिए इसे दिए गए अधिदेश का पालनकर्ता रहा है। मैं यह कहना चाहूँगा कि केवल कुछ बैंकों को छोड़कर, जहाँ कुछ बैंकों के अविवेकी कार्य तथा विनियामक मानदंडों के उल्लंघन के कारण गंभीर विनियामक अड़चने आ गई थीं, नई नीति के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कम बैंक वाले क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा किए जाने के अधीन बैंकों के सभी शाखा प्राधिकरण अनुरोध स्वीकृत किए गए। इस संदर्भ में यह नोट करना रोचक होगा कि यू.एस.ए. में, उदाहरण के लिए, कम विनियामक उल्लंघनों हेतु बैंकों को विनियामक से “बंद करो और छोड़ दो” के आदेश के अधीन इस आदेश की निरंतरता के दौरान उनकी सभी गतिविधियों को कड़ाई से प्रतिबंधित किया जाता है।

(घ) निजी क्षेत्र के बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के बीच विलय

जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है रिज़र्व बैंक को यह विवेकाधिकार प्राप्त है कि वह बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 की धारा 44-क के प्रावधानों के अंतर्गत

दो बैंकिंग कंपनियों के स्वैच्छिक समामेलन की अनुमति प्रदान कर सकता है। तथापि, ये अधिकार किसी गैर बैंकिंग कंपनी का किसी बैंकिंग कंपनी के साथ स्वैच्छिक समामेलन पर लागू नहीं होते हैं जहाँ कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 391 से 394 द्वारा समामेलन अभिशासित होता हो जिसके अनुसार समामेलन की योजना का अनुमोदन उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। अतः बैंकों को सूचित किया गया कि वे उस स्थिति में जहाँ किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का किसी बैंकिंग कंपनी के साथ समामेलन प्रस्तावित है, बैंकिंग कंपनी अपने बोर्ड द्वारा समामेलन की योजना अनुमोदित किए जाने के बाद रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करे लेकिन इसे उच्च न्यायालय के पास अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने के पूर्व किया जाना चाहिए।

बाद में, संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में बैंकिंग कंपनियों के बीच स्वैच्छिक विलय संबंधी दिशानिर्देश तैयार करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा एक कार्यदल का गठन किया गया। दल की सिफारिशों के आधार पर तथा केंद्र सरकार के साथ परामर्श करके अप्रैल 2005 के वार्षिक नीति वक्तव्य में यह प्रस्ताव किया गया कि निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच तथा एनबीएफसी के साथ समामेलन के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए जाए। दिशानिर्देश में शामिल किए जाने वाले विषय थे : विलय प्रस्ताव की प्रक्रिया स्वैप अनुपात का निर्धारण, प्रकटीकरण, विलय की प्रक्रिया से पूर्व तथा उसके दौरान प्रवर्तकों द्वारा शेयरों की खरीद/बिक्री के लिए मानदंड तथा विलय की प्रक्रिया में बोर्ड का जुड़ना। इन दिशानिर्देशों में निहित सिद्धांत, संबंधित विधानों के प्रावधानों की शर्तों के अधीन सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर भी यथोचित रूप से लागू होंगे। तदनुसार, मई 2005 में दिशानिर्देश जारी किए गए।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ विलय के कुछ उदाहरण हैं। ऐसा पहला विलय मई 1999 में हुआ जब भारतीय रिजर्व बैंक ने एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ट्वेन्टीएथ सेंचुरी फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड का सेंचुरियन बैंक लिमिटेड के साथ विलय का अनुमोदन किया था। तदनन्तर वर्ष 2003 में इंडसइंड बैंक लिमिटेड के एक प्रवर्तक इन्डुसइण्ड इंटरप्राइजेज़ एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड (आइइएफएल) का बैंक के साथ विलय को भी अनुमोदित किया गया। तथापि, एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कोटक महिन्द्र फाइनेन्स लिमिटेड को इसके अन्तर्नियम और बहिर्नियमों में संशोधन करते हुए कोटक महिन्द्र बैंक लिमिटेड में परिवर्तित किया गया और फरवरी 2003 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसे बैंकिंग लाइसेन्स की स्वीकृति दी गई। जून 2004 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, अशोक लीलैण्ड फाइनेन्स लिमिटेड का इंडसइंड बैंक लिमिटेड के साथ विलय को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके अतिरिक्त कतिपय बैंकों के भी कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में उल्लेखनीय स्टेक हैं। उदाहरण के लिए डेवलपमेन्ट बैंक ऑफ सिंगापुर (डीबीएस) का भी चोलामण्डलम इनवेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड में प्रमुख स्टेक है जबकि बारक्ले बैंक की रैंक इनवेस्टमेन्ट लिमिटेड में प्रमुख धारिता है।

हाल की वैश्विक गतिविधियों की दृष्टि से बैंकों के साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विलय की वर्तमान नीति की एक व्यापक समीक्षा की अपेक्षा होगी।

(ड) सार्वजनिक क्षेत्र के मूल बैंक के साथ आवास वित्त सहायक कंपनी का विलय

ऐसे भी कुछ दृष्टांत हैं जहां सरकारी क्षेत्र के बैंक की आवास वित्त सहायक संस्था का विलय मूल बैंक के

साथ हुआ है। अप्रैल 2002 और मार्च 2007 के दौरान आंध्रा बैंक, विजया बैंक, कार्पोरेशन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा की आवास वित्त सहायक कंपनियों का उनके संबंधित मूल बैंकों के साथ विलय को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी गई थी। ये विलय प्रारंभिक रूप से आवास वित्त संस्थाओं की निधियों की बढ़ती हुई लागत के कारण शुरू किए गए थे जिसने उनके कारोबारी मॉडल की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। भारतीय रिजर्व बैंक से विलय के लिए अनुमोदन इसलिए आवश्यक हो गया था कि बैंक की सहायक कंपनियों की संरचना में परिवर्तन हो गया था क्योंकि इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामक अनुमोदन से बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 19(1) के अंतर्गत स्थापित किया गया था।

(च) विलय के लिए किए गए प्रयास जो कार्यान्वित नहीं हो सके

मैं यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि बैंकों के विलय के लिए किए गए सभी प्रयास अवश्य सफल हुए हों, ऐसी बात नहीं है। ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ विलय की प्रक्रिया कुछ आगे बढ़ने के बावजूद अंततः प्रतिफलित नहीं हुई। उस समय के यूटीआई बैंक और भूतपूर्व ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के विलय के लिए किए गए प्रयासों के मामले इस संबंध में उद्धृत किए जा सकते हैं। जबकि इन दोनों बैंकों की स्वैच्छिक समामेलन की योजना अनुमोदन के लिए रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की गई थी, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जाँच पूरी नहीं किए जाने के कारण अनुमोदन को लंबित रखा गया था। यह स्मरणीय है कि इस प्रस्तावित विलय की दौड़ में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने ग्लोबल ट्रस्ट बैंक शेयरों के मूल्य में हेराफेरी की कुछ जाँच शुरू की थी। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन दिया जाना

था, संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तावित विलय को रोक दिया गया। अतः यह विलय कार्यान्वित नहीं हो सका।

विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं (डीएफआई) का समेकन

यहां इस बात का उल्लेख करना उचित होगा कि दीर्घावधि निधि के लिए वैकल्पिक स्रोत न होने के कारण स्वतंत्रता के बाद देश में विकासात्मक वित्त संस्थाओं का गठन किया गया ताकि औद्योगिक विकास के लिए उद्योगों को दीर्घावधि वित्त उपलब्ध कराया जा सके। अतः विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं (डीएफआई) को यह भूमिका अदा करने के लिए उन्हें सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बॉण्ड और भारतीय रिजर्व बैंक की दीर्घावधि परिचालन निधियों से आबंटन के द्वारा निधियों की कतिपय रियायती स्रोतों तक पहुँच भी उपलब्ध कराई गई थी। तथापि, वित्तीय क्षेत्र सुधारों के प्रारंभ से और पहली नरसिंहम समिति की अनुशंसाओं के अनुपालन में निधियों की पारंपरिक रियायती स्रोतों तक विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं (डीएफआई) की पहुँच धीरे-धीरे समाप्त हो गई थी। परिणामतः, बाजार संबंधित दरों पर संसाधन जुटाए जाने के कारण उनकी निधियों की लागत बढ़ गई तथा बैंकों से बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के चलते उनके कारोबारी मॉडल की लाभप्रदता ही प्रभावित हुई। विकासात्मक वित्तीय संस्थाएं (डीएफआई) पहली बार वर्ष 1991 में भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक संवीक्षा के भीतर आई तथा हाल तक भारतीय रिजर्व बैंक का विनियामक अधिकार क्षेत्र सात मीयादी उधारदात्री संस्थाओं (टीएलआई-एग्जिम बैंक, आइसीआईसीआई लिमिटेड, आइडीबीआई, आइडीएफसी लिमिटेड, आइएफसीआई लिमिटेड, आइआईबीआई लिमिटेड और टीएफसीआई लिमिटेड) और तीन पुनर्वित्त संस्थाओं (आरएफआई-नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) पर लागू रहा है।

बैंकिंग क्षेत्र सुधार समिति (दूसरी नरसिंहम समिति) ने 1998 में यह सुझाव दिया था कि विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं (डीएफआइ) को एक अवधि के बाद स्वयं को बैंकों में परिवर्तित कर लेना चाहिए तथा दो प्रकार की मध्यस्थ संस्थाएं होनी चाहिए - बैंकिंग कंपनियां तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। यदि डीएफआइ बैंकिंग लाइसेंस लेकर बैंक में तब्दील नहीं होना चाहती हो तो उसे एनबीएफसी के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। बैंकों तथा डीएफआइ की भूमिका तथा परिचालन के समन्वयन संबंधी कार्यदल (खान कार्य दल) का भी यह विचार था कि डीएफआइ को अंततः बैंकिंग लाइसेंस दिया जाना चाहिए। इन सिफारिशों के आधार पर रिजर्व बैंक ने जनवरी 1999 में इस मुद्दे पर व्यापक सार्वजनिक चर्चा हेतु 'चर्चा पत्र' जारी किया। चर्चा पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ डीएफआइ को संपूर्ण एनबीएफसी अथवा बैंक के रूप में स्वयं को तब्दील करने के लिए परिवर्तन पथ के बारे में विचार किया गया है। चर्चा पत्र पर प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर वर्ष 2000-2001 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति में सर्वव्यापी बैंकिंग के क्षेत्र में प्रस्तावों पर विचार करने के लिए अंगीकृत करने हेतु विस्तृत दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया था। नीति में कहा गया था कि सर्वव्यापी बैंकिंग का सिद्धांत एक वांछित लक्ष्य है और कोई विकासात्मक वित्तीय संस्था (डीएफआइ) जो किसी बैंक के रूप में रूपांतरित होना चाहती है उसे ऐसा करने का विकल्प होगा बशर्ते वह बैंकों के लिए लागू विवेकपूर्ण मानदण्ड को पूरा करने में समर्थ हो। इस प्रयोजन के लिए ऐसी किसी विकासात्मक वित्तीय संस्था (डीएफआइ) से यह अपेक्षित है कि वह रिजर्व बैंक के विचारार्थ एक अंतरण मार्ग तैयार करे। अतः आगे चलकर प्रणाली में केवल बैंक और पुनः संरचित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के परिचालन में

होने संबंधी नरसिंहम समिति की अनुशंसा का अनुपालन किया जा सकेगा। तदनुसार, अप्रैल 2001 में वित्तीय संस्थाओं को एक सर्वव्यापी बैंक के लिए उनके अंतरण मार्ग के विकास में संगत कई परिचालात्मक और विनियामक मामलों तथा इस प्रयोजन के लिए एक रूपरेखा गठित करने के लिए सूचित किया गया।

रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन में, दो अग्रणी मीयादी उधारदात्री संस्थाओं यथा- भूतपूर्व आइडीबीआइ और आइसीआइसीआइ लिमिटेड दोनों एक-एक वाणिज्यिक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गईं। चार अग्रणी मीयादी उधारदात्री संस्थाएं (आइडीएफसी लिमिटेड, आइएफसीआइ लिमिटेड, आइआइबीआइ लिमिटेड-अब बंद हो चुकी हैं, टीएफसीआइ लिमिटेड) जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की श्रेणी में थीं अब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लागू मानदण्डों के अनुसार नियंत्रित होती हैं। तथापि, एग्जिम बैंक और तीन आरएफआइ (नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बनी रहेंगी और उनका नियंत्रण वित्तीय संस्थाओं के लिए लागू मानदण्डों के अनुसार किया जाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का समेकन

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत की गई थी ताकि ग्रामीण ऋण के वितरण हेतु एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था का निर्माण किया जा सके जो ग्रामीण ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्थानीय जरूरतों के अनुरूप होने के साथ-साथ उसमें वाणिज्य बैंकों की निपुणता भी हो। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व संयुक्त रूप से भारत सरकार, प्रायोजक बैंक और राज्य सरकारों के पास क्रमशः 50, 35 और 15 प्रतिशत आधार पर हैं तथा

उनके पास क्षेत्र विशिष्ट सीमित परिचालन क्षेत्र होने की आशा की जाती थी। विगत वर्षों में उनकी संख्या बढ़कर 196 हो गई है जो देश में 26 राज्यों में परिचालनरत हैं जिन्हें 27 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और 1 राज्य सहकारी बैंक द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। तथापि, उनके परिचालन क्षेत्र के सीमित आकार, विस्तार और क्षेत्र के साथ उन्हें वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं के साथ प्रतिस्पर्धा और वाणिज्यिक बैंकों के समरूप उन्नत पारिश्रमिक संरचना के कारण परिचालन की बढ़ती हुई लागत से उनकी लाभप्रदता और अर्थक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इससे उनके समेकन की शुरुआत हुई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समेकन का सुझाव सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (चलपति राव समिति) में संशोधन हेतु सुझाव देने के लिए गठित कार्य दल ने 2001 में दिया था। इसने सुझाव दिया कि इन संस्थाओं की क्षेत्रीय प्रकृति को बनाए रखते हुए प्रायोजक बैंकों की संख्या में कमी की जानी चाहिए। उसके बाद, कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों के लिए ऋण की उपलब्धता संबंधी परामर्शदात्री समिति (व्यास समिति) ने सुझाव दिया कि प्रथम चरण में, राज्य विशेष के प्रायोजक बैंक के सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन करके एक संस्था बनाई जानी चाहिए तथा दूसरे चरण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का राज्य स्तरीय समेकन किया जाना चाहिए। उसके बाद, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में जून 2005 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित आंतरिक कार्यदल (सरदेसाई समिति) ने भी इन बैंकों को सुदृढ़ बनाने के लिए दो विकल्पों का सुझाव दिया, नामतः एक राज्य के एक ही प्रायोजक बैंक के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बीच विलय अथवा एक राज्य के विभिन्न बैंकों के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय।

इन सिफारिशों को लागू करने की जरूरत इसलिए हुई कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के छोटे आकार ने उनके

परिचालनों को अलाभप्रद बनाया जिससे एक बड़ी राशि संचित हानि के रूप में सामने आई जिसे वांछनीय नहीं समझा गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की परिचालनात्मक अर्थक्षमता में सुधार के लिए तथा लेनदेन लागत में कमी के द्वारा बड़े पैमाने की किफायतों का लाभ उठाने के लिए भारत सरकार ने सितंबर 2005 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रायोजक बैंक-वार समामेलन की प्रक्रिया शुरू की। समामेलन का प्रथम सेट 12 सितंबर 2005 को पूरा किया गया जब 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 9 नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के गठन हेतु समामेलित किया गया था। ये समामेलन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23-क के अंतर्गत किए गए थे जो यह प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय बैंक, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक से परामर्श के बाद दो अथवा दो से अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को समामेलित कर सकती है। समामेलन की यह प्रक्रिया अभी भी जारी है।

ऐसे समामेलन के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 31 मार्च 2006 और 2005 में क्रमशः 133 और 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में घटकर 31 मार्च 2008 को 91 हो गई है। यहाँ यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि यह समामेलन केवल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बीच हुआ है प्रायोजक बैंकों के साथ नहीं और इसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अभिशासी संविधि में कोई संशोधन किए बिना प्राप्त किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ढांचागत समेकन के परिणाम स्वरूप नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन हुआ जो वित्तीय रूप से सक्षम तथा कारोबार की मात्रा तथा विस्तार की दृष्टि से बड़े थे। इसप्रकार, नवगठित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बड़े आकार के परिचालन से प्राप्त होने वाले आर्थिक सुविधाओं का लाभ उठाने के साथ-साथ परिचालन लागत को कम कर सकेंगे। स्थानीय स्थिति की अच्छी जानकारी जन्य लाभ के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अब ग्रामीण विकास एवं

वित्तीय समावेशन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अच्छी स्थिति में होंगे।

शहरी सहकारी बैंक

शहरी सहकारी बैंक संभवतः किसी नियंत्रक के लिए एक अत्यंत जटिल मामला खड़ा करते हैं क्योंकि उनका अभिशासन सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है जो राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है जबकि उनके बैंकिंग परिचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू किए गए बैंककारी विनियमन अधिनियम द्वारा अभिशासित होते हैं जिससे दुहरा नियंत्रण पैदा होता है। अतः इस क्षेत्र में समेकन हेतु विशेष तथा सभी स्टेकधारकों के सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयासों से सभी स्टेकधारकों के प्रतिनिधित्व के साथ प्रत्येक राज्य के लिए सहकारी शहरी बैंक के लिए कार्यदल (टीएफसीयूबी) का गठन किया जाना इस दिशा में एक पहल है और यह शहरी सहकारी बैंकों के जटिल मामलों का समाधान करने में प्रभावी साबित हुआ है।

हाल के नब्बे के दशक और वर्ष 2003 तक शहरी सहकारी बैंकों की चमत्कारी वृद्धि से उनके फैलाव में विस्तार हुआ है तथा दुर्भाग्यवश इस क्षेत्र में कतिपय कमजोरियाँ भी उभरी हैं जिससे सार्वजनिक अवधारणा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिसके द्वारा उनकी प्रतिस्पर्धा भी प्रभावित हुई है। आम जनता के विश्वास में कमी का एक प्रमुख कारण वर्ष 2001 में गुजरात राज्य में एक बड़े बहु-राज्य सहकारी बैंक द्वारा सामना किया गया एक संकट था जब बैंक ने एक अग्रणी स्टॉक ब्रोकर को जिसे शेयर बाजार में भारी क्षति हुई थी, अपने भारी निवेश की अफवाह के कारण अपनी शाखाओं से अचानक भारी मात्रा में राशि के आहरण को देखा। अल्पकाल के भीतर जमाराशियों की भारी मात्रा में आहरण से बैंक के लिए चलनिधि की अत्यंत कठिन समस्या उत्पन्न हुई

थी। बैंक, राज्य के भीतर और बाहर के शहरी सहकारी बैंकों की एक बड़ी संख्या से लगभग 800 करोड़ रुपए की अंतरबैंक जमाराशियाँ भी धारित करता था जिससे एक प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न हुआ था। आम जनता एवं अन्य सहकारी बैंकों के हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को कतिपय परिचालनों (नई जमाराशि स्वीकार करना, किसी एक जमाकर्ता को 1000 रुपए तक ही भुगतान करना और नए ऋण देने पर रोक लगाना) को सीमित करते हुए निदेश जारी किया और सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक, नई दिल्ली से निदेशक मंडल को अधिक्रमित करके एक प्रशासन नियुक्त करने की मांग की। केंद्र सरकार ने अल्प समय के लिए बैंक पर अधिस्थगन आदेश जारी किया। बैंक को बाद में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत रखा गया।

गुजरात की घटना के बाद वर्ष 2002 में आंध्र प्रदेश राज्य में एक दूसरा बड़ा संकट उत्पन्न हुआ जब राज्य में एक बड़े सहकारी बैंक को भारी मात्रा में राशि के आहरण का सामना करना पड़ा क्योंकि सहकारी समितियों के राज्य पंजीयक द्वारा बैंक के कामकाज के बारे में जांच प्रारंभ किए जाने संबंधी रिपोर्ट समाचार पत्रों में प्रकाशित हो गई थी। बैंक की स्थिति कमजोर थी एवं उसे पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने के बाद रिजर्व बैंक ने 2004 में उसका लाहसैंस रद्द कर दिया।

शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र में आम जनता के विश्वास में हुई कमी का असर गुजरात और आंध्र प्रदेश के संकट के बाद गहरा हो गया और इसी के साथ-साथ सामान्यतः शहरी सहकारी बैंकों की स्थिति में गिरावट आई। 30 जून 2004 की स्थिति के अनुसार 1919 शहरी सहकारी बैंकों में से 732 को कमजोर और बीमार बताते हुए ग्रेड III अथवा IV में वर्गीकृत किया गया। समेकन के

जरिए सुदृढ़ संस्था के गठन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एवं सहकारी क्षेत्र के कमजोर / अव्यवहार्य संस्थाओं को बाधा रहित प्रस्थान का अवसर देने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र में विलय/समामेलन को प्रोत्साहित करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों को फरवरी 2005 में दिशानिर्देश जारी किए। यद्यपि, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) सहकारी बैंकों के विलय तथा सामेलन के संबंध में योजना तैयार करने के लिए रिज़र्व बैंक को अधिकार प्रदान नहीं करता है, राज्य सरकारों ने अपने संबंधित सहकारी समिति अधिनियमों में सामेलन अथवा पुनर्संरचना की योजना की स्वीकृति के लिए आदेश हेतु अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित रूप में पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के लिए एक प्रावधान को शामिल किया है। इस प्रकार, सहकारी बैंकों के विलय में रिज़र्व बैंक की भूमिका विलय की योजना के वित्तीय पक्षों की जांच करने, संबंधित बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने, साथ ही ऐसे प्रस्ताव पर विचार करते समय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करने तक सीमित है। बाद में, भारत की वित्तीय प्रणाली में शहरी सहकारी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि विशेष रूप से समाज के मध्य तथा निम्न मध्य वर्गों एवं कमजोर वर्गों को आवश्यकता आधारित स्तरीय बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शहरी सहकारी बैंकों को संयुक्त स्वामित्व वाली, गणतांत्रिक रूप में नियंत्रित तथा नैतिक तरीके से व्यवस्थित सुदृढ़ तथा स्वस्थ संस्था के एक नेटवर्क के रूप में विकसित किया जाए। प्रणालीगत जोखिम की पहचान करते हुए और ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने इन बैंकों के लिए

विधायी, विनियामक और पर्यवेक्षी ढाँचे के समस्त स्वरूप की समीक्षा की और मार्च 2005 में शहरी सहकारी बैंकों के लिए परिदृष्टि दस्तावेज़ का एक प्रारूप प्रकाशित किया जिसमें इस परिदृष्टि को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने के लिए आवश्यक विस्तृत दृष्टिकोण और रणनीतियाँ अंगीकृत करना निर्धारित किया गया था।

शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र में बैंकों की कुल संख्या मार्च 2004 में 1926 थी जो घटकर अगस्त 2007 में 1793 हो गई। संख्या में कमी के बावजूद इस क्षेत्र में आम जनता के विश्वास में बढ़ोत्तरी जारी रही जो जमाराशियों में पिछले वर्ष की 8.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2006-07 के दौरान पिछले स्तर से 6.1 प्रतिशत की और वृद्धि के रूप में दिखाई दी तथा इस प्रकार वर्ष 2005 की अवनतिशील प्रवृत्ति में उस समय बदलाव आया जब शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशियाँ नीचे गिरकर 4.7 प्रतिशत हो गई थीं। इसके अतिरिक्त, कमजोर तथा बीमार बैंकों की संख्या में कमी इस क्षेत्र की बेहतर जोखिम प्रोफाइल की स्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार श्रेणी III और IV में शहरी सहकारी बैंकों की संख्या (पर्याप्त पर्यवेक्षी सरोकार वाले बैंक) मार्च 2006 में बैंकों की कुल संख्या के 37 प्रतिशत के तदनुरूपी आँकड़ों की तुलना में मार्च 2007 में 31 प्रतिशत थी। बैंकों की संख्या में कमी, बैंकों के परिसमापन/विलय, लाइसेंस हेतु बैंकों के आवेदनों को अस्वीकार करके एवं नए शहरी सहकारी बैंक की स्थापना हेतु लाइसेंस आवेदन पत्रों पर कार्रवाई न करने की नीति जारी रखकर लाई गई।

पूर्व की अपेक्षा, शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में इस संकुचन के प्रति इस क्षेत्र के तथा राज्य सरकारों के दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन हुआ है। जैसा कि शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सरकारों आदि के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किए गए शहरी सहकारी बैंकों

के लिए परिदृष्टि दस्तावेज में परिकल्पना की गई है, विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए परामर्शी दृष्टिकोण का अंगीकरण जो सहभागी और पारदर्शी है, सभी स्टेकधारकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक कार्रवाई की प्रशंसा के रूप में प्रतिफलित हुआ है। पूर्व में बैंक परिसमापन की मांग का संबंधित बैंक तथा क्षेत्र द्वारा विरोध किया जाता था तथा अक्सर राज्य सरकार द्वारा परिसमापन मांग को कार्यान्वित नहीं किया जाता था अथवा उसके कार्यान्वयन में देरी होती थी। यह प्रक्रिया अब सुगम तथा त्वरित हो गई है, क्योंकि ये निर्णय उन राज्यों जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, में गठित सहकारी शहरी बैंकों के लिए कार्यदल (टीएएफसीओबी) की अनुशंसाओं पर आधारित थे। सहकारी शहरी बैंकों के लिए कार्यदल (टीएएफसीओबी) में राज्य सरकार, शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि होते हैं। 16 अप्रैल 2008 तक 16 राज्य सरकारों और केंद्रीय सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें 1586 शहरी सहकारी बैंक शामिल हैं जो बैंकों की कुल संख्या का 87.1 प्रतिशत हैं जिनमें शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र की कुल जमाराशियाँ 93.8 प्रतिशत हैं।

मैं यहां इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को एक ऐसे सुदृढ़ एवं गतिशील प्रणाली के रूप में विकसित करने हेतु वर्ष 2010 तक के लिए एक मध्यवधि ढांचा तैयार किया गया है जिसमें संस्थाएं विवेकपूर्ण सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हों। इस क्षेत्र के विभिन्न स्टेकधारकों के बीच सतत संपर्क बनाए रखने के उद्देश्य से शहरी सहकारी बैंकों की स्थायी परामर्शदात्री समिति का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है।

श्रेणी I और श्रेणी II शहरी सहकारी बैंकों (पर्यवेक्षी रूप से महत्वहीन/कम पर्यवेक्षी महत्व वाले बैंक) की

जमाराशियाँ गुजरात और आंध्र प्रदेश के दो बैंकों को छोड़कर जिन्होंने संकट का सामना किया था, शहरी सहकारी बैंकों की कुल जमाराशियों के अनुपात में 77.5% हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि इस समय जहाँ तक शहरी सहकारी बैंकों का संबंध है, विनियामक सुविधा में पर्याप्त सुधार हुआ है। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सभी स्टेकधारकों के बीच बेहतर सहयोगिता की प्रक्रिया से स्थिति में और सुधार हो सकता है।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) द्वारा निपटाए गए दावों की राशि पर शहरी सहकारी बैंकों का प्रभाव

शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में यह समुचित होगा कि कमजोर शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्रभावित जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा किए गए भुगतान पर उनके परिचालनों के प्रभाव का उल्लेख किया जाए। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1962 में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को प्रारंभ किए जाने के बाद से वर्ष 2000-01 तक निगम द्वारा सहकारी बैंकों को भुगतान किए गए दावे की राशि 71.9 करोड़ रुपए थी जो निगम द्वारा इस अवधि के दौरान भुगतान किए गए कुल दावों का 27.43 प्रतिशत है। तथापि, वर्ष 2001 से सहकारी बैंकों के संबंध में भुगतान किए गए दावों की मात्रा तब से बड़े शहरी सहकारी बैंकों के असफल होने के कारण कई गुना हो गई है।

इस प्रकार वर्ष 2000-01 और 2006-07 के दौरान शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में भुगतान किए गए दावों की सकल राशि 2226.60 करोड़ रुपए हो गई। इसके अतिरिक्त, 2006-07 तक सभी बैंकों के संबंध में अदा किए गए 2594.30 करोड़ रुपए के दावों में 88 प्रतिशत से भी अधिक की राशि केवल 176 शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में थी। तथापि, सहयोगिता के नए वातावरण में विनियामक स्थिति में अतिरिक्त सुधारों के चलते शहरी सहकारी बैंकों की स्थिति में और सुधार होने की आशा है।

स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी)

तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसरण में स्थानीय क्षेत्र बैंक योजना की शुरुआत अगस्त 1996 में की गई तथा उसके बाद रिजर्व बैंक ने स्थानीय क्षेत्र बैंकों की स्थापना हेतु दिशानिर्देश जारी किए। स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के गठन का उद्देश्य ऋण उपलब्धता में अंतर को समाप्त करना और ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सांस्थिक ऋण संरचना को बढ़ाना और उनके परिचालन क्षेत्र में सक्षम और प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय मध्यस्थ सेवाएं उपलब्ध कराना था। स्थानीय क्षेत्र बैंक योजना में 5 करोड़ रुपए की एक न्यूनतम पूंजी और 3 निकटवर्ती जिलों को शामिल करते हुए एक परिचालन क्षेत्र की परिकल्पना की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक में प्राप्त 227 आवेदन पत्रों में से वस्तुतः केवल छह बैंकों को स्थानीय बैंकों की स्थापना हेतु लाइसेंस दिए गए। मूल रूप से लाइसेंस दिए गए स्थानीय क्षेत्र के छह बैंकों में से दो अब बंद हो चुके हैं क्योंकि उनमें से एक को दिए गए लाइसेंस को जनवरी 2002 में उसके परिचालनों में पाई गई गंभीर अनियमितताओं के कारण निरस्त कर दिया गया था जबकि दूसरे बैंक जिसकी वित्तीय स्थिति असंतोषप्रद थी, को बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ अगस्त 2004 में समामेलित कर दिया गया था। इस प्रकार अब वर्तमान में स्थानीय क्षेत्र के केवल चार बैंक कार्यरत हैं जो सभी गैर-अनुसूचित बैंक हैं। स्थानीय क्षेत्र बैंकों पर उनकी स्थापना के समय से ही बैंककारी विनियमन अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के प्रावधान तथा आय निर्धारण तथा आस्ति वर्गीकरण आदि विवेकपूर्ण मानदंड लागू किए गए।

जुलाई 2002 में श्री रामचंद्रन, पूर्व वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समीक्षा दल का गठन स्थानीय क्षेत्र बैंक योजना की कार्यपद्धति का अध्ययन करने और अनुशांसा

करने के लिए किया गया था। भारत सरकार की सहमति के साथ इस दल की अनुशांसाओं के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि जब तक स्थानीय क्षेत्र के वर्तमान बैंक मजबूत आधार को प्राप्त नहीं करते हैं तब तक किसी नए स्थानीय क्षेत्र के बैंक को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। विद्यमान स्थानीय क्षेत्र बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नवंबर 2003 में यह भी सूचित किया गया कि वे 5 से 7 वर्ष की अवधि में 25 करोड़ रुपए की पूंजी तथा 15 प्रतिशत सीआरएआर की अपेक्षा को पूरा करें। पुनर्गठन की कोई व्यवहार्य विकल्प न होने के कारण यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान ढांचे के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र बैंकों के संबंध में यथास्थिति बनाई रखी जाए।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) सेवा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण संघटक हैं जो अर्थव्यवस्था के विकास में उल्लेखनीय योगदान करती हैं। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) के लिए ये महत्वपूर्ण हैं कि वे अर्थव्यवस्था के प्रकीर्ण, कम बैंक वाले और कम सेवा प्राप्त करनेवाले क्षेत्रों को सक्षम मध्यस्थता प्रदान करें तथा ऋण वितरण में वृद्धि करें। तथापि, रिजर्व बैंक का यह भी दायित्व है कि वह जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करे। यह सुनिश्चित करते हुए कि जनता से जमाराशि लेनेवाली तथा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण कंपनियों का विनियमन समुचित रूप से हो, भारतीय रिजर्व बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र के और विकास के लिए प्रयास कर रहा है ताकि इस क्षेत्र के आस्ति आधार में बढ़ोतरी हो सके। रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह विकल्प दिया कि यदि विनियामक लागत उन्हें प्राप्त लाभ से अधिक होती हो तो वे जनता से जमाराशि लेने संबंधी कार्यों से स्वेच्छा से अलग हो सकती हैं। यदि कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी

(एनबीएफसी) आम जनता की जमाराशि लेने की व्यवस्था से स्वैच्छिक रूप से बाहर होना चाहती है तो रिजर्व बैंक वास्तव में प्रशिक्षण देने और प्रौद्योगिकी सहायता सहित उसके प्रयासों में सहायता करेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामक अधिकार क्षेत्र के भीतर आनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को मोटे तौर पर जमाराशि स्वीकार करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों के अलावा), जमाराशि स्वीकार नहीं करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी) और अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों (आरएनबीसी) में वर्गीकृत किया जा सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) मोटे तौर पर चार प्रकार की गतिविधियों यथा उपस्कर पट्टेदारी, किराया खरीद, ऋण और निवेश में संलग्न हैं। उनके परिचालनों को नियंत्रित करनेवाले विनियामक/पर्यवेक्षी मानदण्ड क्षेत्र विशिष्ट महत्त्व को दर्शाते हुए भिन्न-भिन्न हैं।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र में समेकन के एक भाग के रूप में जमाराशि स्वीकार करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-डी) की संख्या धीरे-धीरे जून 2003 के अंत में 710 से कम होकर मार्च 2008 के अंत में 376 हो गई है। उनके द्वारा धारित आम जनता की जमाराशियाँ भी घटती प्रवृत्ति को दर्शाती हैं और वे 5,035 करोड़ रुपए (मार्च 2003) से कम होकर 2,043 करोड़ रुपए (मार्च 2007) हो गई हैं। मार्च 2007 के अंत की स्थिति में एनबीएफसी-डी द्वारा दिए गए 37,990 करोड़ रुपए के ऋण की तुलना में उनकी बैंक उधारी की 14,923 करोड़ रुपए की राशि उल्लेखनीय राशि नहीं है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2007 को वाणिज्य बैंकों द्वारा धारित जमाराशि (26,08,309 करोड़ रुपए) की तुलना में आरएनबीसी सहित एनबीएफसी द्वारा धारित जमाराशि (मार्च 2007 के अंत में 24,665 करोड़ रुपए) नगण्य (0.95 प्रतिशत) है। यह विचार करते हुए कि धारित

जमाराशियाँ तथा जमाराशि स्वीकार करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-डी) की बैंकों की उधार राशियाँ सकल बैंक जमा और ऋण के संबंध में उल्लेखनीय नहीं हैं, प्रणालीगत जोखिम को महत्त्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त जमाराशि स्वीकार नहीं करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी) की संख्या जून 2003 तक 13,139 से कम होकर मार्च 2008 के अंत तक 12,458 हो गई है।

बैंक के साथ पंजीकृत अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों (आरएनबीसी) की संख्या 31 मार्च 2003 तक 5 से घटकर दिसंबर 2006 के अंत में 3 हो गई है। इनमें से दो कंपनियाँ वस्तुतः समस्त जमाराशियाँ रखती थीं क्योंकि तीसरी कंपनी की जमाराशि एक करोड़ रुपए से कम होने के कारण उसका महत्त्व नगण्य था। तथापि, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जमाराशियों की प्रवृत्ति के विपरीत अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों (आरएनबीसी) की सकल जमा देयता (एएलडी) तीव्र वृद्धि दर्शाती रही है। आएनबीसी की जमाराशि देयताएं 31 मार्च 2003 के 15,065 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2007 को 22,622 करोड़ रुपए हो गई जो 33.9 प्रति प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। एक कंपनी की सकल जमाराशि देयताओं में कमी आई, जबकि अन्य बड़ी एनबीएफसी की जमाराशि में सतत वृद्धि हुई। तथापि यह उल्लेख किया जा सकता है कि अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों (आरएनबीसी) के परिचालन वातावरण में परिवर्तनों की दृष्टि से उनका करोबारी मॉडल अब अलाभकारी हो गया है और उन्हें एक नए कारोबारी मॉडल का पता लगाने की आवश्यकता है।

31 मार्च 2007 को एनबीएफसी की सकल जमाराशि 24,665 करोड़ रुपए थी जिनमें से आरएनबीसी को छोड़कर जमाराशि लेनेवाली एनबीएफसी के पास जमाराशि 2,043 करोड़ रुपए थी जो एनबीएफसी की

जनता से कुल जमाराशि का 8.3 प्रतिशत है। 31 मार्च 2007 को आरएनबीसी की जमाराशि 22,622 करोड़ रुपए थी और इसमें सतत वृद्धि हो रही है। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, आरएनबीसी का कारोबारी मॉडल अव्यवहार्य हो गया है।

जमाराशि स्वीकार करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-डी) की घटती हुई संख्या, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित आम जनता की राशियों में घटती हुई प्रवृत्ति, एनबीएफसी-एनडी-एसआइ और आरएनबीसी के मामले में विनियामक निर्धारणों के सुदृढ़ीकरण, अनर्जक आस्तियों के न्यूनतम स्तर तथा क्षेत्र द्वारा न्यूनतम स्तर के बैंक उधार को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र से संभावित प्रणालीगत जोखिम इस समय कम है, यद्यपि समेकन की प्रक्रिया में तेजी आ रही है। इन परिस्थितियों में, जनता से जमाराशि लेने संबंधी कार्यकलाप बैंकों तक ही सीमित रखने के प्रस्ताव पर उचित समय पर विचार करने की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

विगत वर्षों में भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों के समेकन में पर्याप्त प्रगति हुई है और ये विलय न केवल कमजोर और मजबूत बैंकों के बीच में हुये हैं बल्कि हाल में मजबूत तथा अच्छी तरह से कार्य करनेवाले बैंकों के बीच भी हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक समेकन प्रयासों का समर्थन करता रहा है और ऐसा कोई मामला अब तक नहीं आया है जहाँ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के विलय हेतु अनुमोदन अस्वीकृत किया गया हो क्योंकि ऐसे प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षाओं और दिशानिर्देशों के अनुरूप किए गए थे।

शहरी सहकारी बैंकों के मामले में विगत वर्षों में उल्लेखनीय रूप में समेकन हुए हैं जहाँ कमजोर शहरी

सहकारी बैंकों की काफी बड़ी संख्या विलय और सामेलन के माध्यम से इस प्रणाली से बाहर हो गई है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में उनकी मूल संख्या घटकर आधे से भी कम हो गई है और वर्तमान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अच्छी वित्तीय स्थिति में हैं।

उल्लेखनीय बात यह है कि शहरी सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्षेत्र में समेकन विद्यमान सांविधिक ढाँचे के भीतर तैयार किए गए तरीके से और किसी विधायी संशोधन की अपेक्षा किए बिना नवोन्मेषी उपायों से प्राप्त किए गए हैं।

विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं (डीएफआइ) की संख्या में क्रमबद्ध तरीके से कमी लाई गई है और केवल कुछ पुनर्वित्त संस्थाएं बच गई हैं।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र में समेकन की स्थिति भी काफी अच्छी रही जो जमाराशि लेने वाली एनबीएफसी की संख्या में तेजी से कमी आने तथा उनकी कुल जमाराशि बैंकिंग प्रणाली की कुल जमाराशि की तुलना में काफी कम अनुपात में होने के रूप में परिलक्षित होती है तथा इस प्रकार ये प्रणालीगत जोखिम के स्रोत नहीं हैं। तथापि, अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने कारोबारी मॉडल में बदलाव के लिए तेजी से तैयार होना होगा।

यद्यपि सरकारी क्षेत्र बैंकिंग खंड, जिसके पास बैंकिंग प्रणाली की आस्तियों का 75 प्रतिशत हिस्सा है, के समेकन की प्रक्रिया का कार्य चल रहा है, इसके लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संबंधित संविधि में सक्षम बनाने वाले कानूनी प्रावधान भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग प्रणाली के विनियामक तथा पर्यवेक्षक के रूप में, भारतीय वित्तीय क्षेत्र को और सुदृढ़ करने हेतु तथा प्रणाली की स्थिरता की रक्षा करते हुए वृद्धि को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से वाणिज्यिक हित के आधार पर बैंकिंग समेकन के कार्य में समर्थनकारी की भूमिका अदा करता रहेगा।

अनुबंध - I

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के अंतर्गत जनवरी 1990 से
विलय किए गए भारतीय वाणिज्य बैंकों की सूची

क्र.सं.	अंतरणकर्ता बैंक का नाम	अंतरिती बैंक का नाम	समापन की तारीख
1.	बैंक ऑफ तमिलनाडु लि.	इंडियन ओवरसीज बैंक	20.02.1990
2.	बैंक ऑफ तंजावूर लि.	इंडियन बैंक	20.02.1990
3.	पारुर सेंट्रल बैंक लि.	बैंक ऑफ इण्डिया	20.02.1990
4.	पूर्वांचल बैंक लि.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	29.08.1990
5.	काशीनाथ सेठ बैंक लि.	भारतीय स्टेट बैंक	01.01.1996
6.	बारी दोआब बैंक लि.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	08.04.1997
7.	पंजाब को-आपरेटिव बैंक लि.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	08.04.1997
8.	बरेली कापेरेशन बैंक लि.	बैंक ऑफ बड़ौदा	03.06.1999
9.	सिक्किम बैंक लि.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	22.12.1999
10.	टाइम्स बैंक लि.	एचडीएफसी बैंक लि.	26.02.2000
11.	बैंक ऑफ मदुरा लि.	आइसीआइसीआइ बैंक लि.	10.03.2001
12.	बनारस स्टेट बैंक लि.	बैंक ऑफ बड़ौदा	20.06.2002
13.	नेदुंगडी बैंक लि.	पंजाब नेशनल बैंक	01.02.2003
14.	साउथ गुजरात लोकल एरिया बैंक लि.	बैंक ऑफ बड़ौदा	25.06.2004
15.	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	14.08.2004
16.	बैंक आफ पंजाब	सेंचुरियन बैंक	01.10.2005
17.	आइडीबीआई बैंक लि.	आइडीबीआई लि.	02.04.2005
18.	दि गणेश बैंक ऑफ कुरुंडवाड लि.	दि फ़ैडरल बैंक लि.	02.09.2006
19.	यूनाइटेड वेस्टन बैंक लि.	आइडीबीआई लि.	03.10.2006
20.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	इंडियन ओवरसीज बैंक	31.03.2007
21.	दि सांगली बैंक लि.	आइसीआइसीआइ बैंक लि. (स्वैच्छक)	19.04.2007
22.	लार्ड कृष्ण बैंक लि.	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि. (स्वैच्छक)	29.08.2007